


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर



अपील संख्या 2107/2016.....जिला.....जयपुर...

उनवान - मैसर्स कमल स्पॉज स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, बगरू जयपुर बनाम् 1. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचन, राजस्थान वृत प्रथम, जयपुर 2. अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए																		
17/10/2016	<p style="text-align: center;">खण्डपीठ श्री खेमराज, अध्यक्ष श्री मदन लाल, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एस.के.जैन एवं विभाग की ओर से श्री एन.के. बैद, उप-राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55, 60, 61 एवं 75(8) के तहत कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरुद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>अ.सं.</th> <th>कर नि. वर्ष</th> <th>अपी.अधिकारी की अपील सं.</th> <th>अपी. अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि</th> <th>अ.अधि. द्वारा स्थगित राशि</th> <th>कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2107/16</td> <td>13-14</td> <td>अ.प्रा.-II/स्थ/अ.सं. 186</td> <td>69,94,741</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>69,94,741</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2016 से अस्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। विद्वान अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा SB Sales Tax Revision No. 298/2011 निर्णय दिनांक 13.04.2016 की छायाप्रति पेश कर कथन किया कि उक्त निर्णय के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सम्पूरित संव्यवहार अंतर्राज्यीय बिक्री के संव्यवहार नहीं है। अतः उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 6 में वर्णित राशि को स्थगित करने का निवेदन किया है तथ प्रकरण एवं सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश दिनांक 08.09.2016 का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली की रोक पर प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।</p>	अ.सं.	कर नि. वर्ष	अपी.अधिकारी की अपील सं.	अपी. अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अ.अधि. द्वारा स्थगित राशि	कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	1	2	3	4	5	6	2107/16	13-14	अ.प्रा.-II/स्थ/अ.सं. 186	69,94,741	-	69,94,741	
अ.सं.	कर नि. वर्ष	अपी.अधिकारी की अपील सं.	अपी. अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अ.अधि. द्वारा स्थगित राशि	कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि															
1	2	3	4	5	6															
2107/16	13-14	अ.प्रा.-II/स्थ/अ.सं. 186	69,94,741	-	69,94,741															
	 लगातार.....2.																			

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2107/2016.....जिला.....जयपुर...

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17/10/2016	<p>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया, अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी के नियमित लेखों में स्टॉक का इन्द्राज नहीं पाये जाने के परिणामस्वरूप उचन्त व अघोषित 5 प्रतिशत कर योग्य माल कीमतन रूपये 48,17,980/- पर अधिनियम की धारा 75(8) के तहत कर की 5 गुना शास्ति राशि रूपये 12,04,420/- आरोपित की है, जिसके सम्बन्ध में सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है अतः धारा 75(8) के तहत आरोपित शास्ति की वसूली पर रोक लगाना उचित समझते हैं, तदनु रूप अपीलार्थी के विरुद्ध कायम विवादित मांग राशियों की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करने की शर्त पर 75(8) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 12,04,420/- की वसूली रोक लगाई जाती है। शेष राशि वसूलनीय होगी। उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस प्रकरण में नियमित सुनवाई करते हुये आदेश की प्राप्ति के दो माह के भीतर अपील का गुणावगुण के आधार पर विधिक निष्पादन करना सुनिश्चित करें।</p> <p>अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।</p> <p>आदेश प्रसारित किया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="316 1706 568 1895">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </div> <div data-bbox="958 1666 1226 1895">  अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </div> </div>	